उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-68/2016/1938/92-2-16-14(जांच)/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 21 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी के कार्यकाल के दौरान कार्यालय परिसर में लगे पेडों को अनियमित ढंग से कटवाने की अनियमितता में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (स्टोर), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351-ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-68/2016/1938(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-532/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/व्य0प0-215/समूह-ख/2016-17 दिनांक 20.07.2016 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता,(स्टोर) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति सेवानिृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in